



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239255
CG-DL-E-30092022-239255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4402]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4402]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4610(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2773 (अ), तारीख 23 अगस्त 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 23 अगस्त 2016 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्न लिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,-

"उपजिल्हाधिकारी भूअर्जन क्र. 1, सोलापूर " शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.3, सोलापूर " शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

पाद टिप्पणी: मूळ अधिसूचना का. आ. 2773 (अ), तारीख 23 अगस्त 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 23 अगस्त 2016 में प्रकाशित की गई थी !

नाम में परिवर्तन

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआययू/एसएलपी/एलए/23011/1/22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2022

S.O. 4610(E).—In exercise of Power confirmed by clause (a) of section 3 of National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. S.O. 2773(E) dated the 23rd August, 2016, Published in the Gazette of India: -

In the Preamble to the said notification—

For the words and figures “**Deputy Collector, Land Acquisition No.1, Solapur**”, the words, figures and “**Deputy Collector Land Acquisition No. 3, Solapur**”, shall be substituted.

Footnote:- The Principal Notification was published vide S.O. S.O. 2773(E), dated the 23rd August, 2016, in the Gazette of India.

Change in CALA Name

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/22]
RAJESH GUPTA, Director